

आचार्यता

संविद्य प्राविधिक शिक्षा परिषद

दूरत प्रवेश सम्बन्धित।

संख्या- प्राविद्यपरिषद/सम्बद्धता/2021/3837

लगातार- दिनांक 08/08/2021

आचार्यता प्रायः

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कर्मचारी कानूनमित्र अफेय इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषित सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किया जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, संविद्य सम्बन्धित से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किया जाने हेतु दिनांक- 08/08/2021 को परिषद तकनीकी से सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में संविद्य द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य नदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान करने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उक्त सत्र 2021-22 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं तर्जमें अतिरिक्त प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की गयी है:-

संस्था का कोड एवं नाम - 3077-BHAGWAN AADINATH COLLEGE OF PHARMACY, VILL-MOHARRA BLOCK-JAKHORA, LALITPUR-264122

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एच.आई.टी.आई./पी.सी.आई. द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एच.आई.टी.आई./पी.सी.आई. द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1982 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, संविद्य विनियमवली-2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षों में कुल 30150.00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षों में कुल पाठ्यक्रम हेतु 60000.00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षों में कुल पाठ्यक्रमों (दो वर्षों में कुल पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु 22500.00/- प्रतिवर्ष शुल्क ही प्रत्येक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जाएगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क के शक्य में सहाय-समय पर वासना द्वारा निर्गत किये जाने वाले वासनादेय उपायों द्वारा, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। कौशल निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु पी.सी.आई. का पूर्णनिर्धारण किया जाय है, तो प्रवेश की शर्तों में तालू होगी।
- ✓ संस्था को (तात्काल) प्राविधिक शिक्षा समितियों तथा उप समितियों, संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना विनियमवली-2000 की शर्तों का अनुपालन करना होगा।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवेदित छात्रों को ही प्रवेश दिया जाएगा। शैक्षिक के विस्तार एवं नवीन की स्थिति में उत्तर प्रदेश वासना के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्दिष्ट वासनादेश के अनुसार निर्देशन एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को एच.आई.टी.आई./पी.सी.आई. से अगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

DR. VINAY TOMAR
 Bhagwan Aadinath College
 of Pharmacy, Lalitpur (U.P.)

कार्यालय

संघिय प्राविधिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश राजधानी

संख्या- प्राविध/परिषद/सम्बद्धता/2022/7817

संलग्न- दिनांक- 30/08/2022

-कार्यालय भाषा-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली/कार्यवाही काउन्सिल ऑफ इण्डिया, नई दिल्ली द्वारा संश्लेषित सन 2022-23 हेतु द्वितीय स्तरीय तकनीकी शिक्षा संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक 30/08/2022 को परिषद कार्यालय से सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदन पूर्व संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व में संश्लेषित संस्थाओं को सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रवेश हमला वृद्धि सहित अन्य सटी पर विचार करने हुए सन 2022-23 हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुकूल में निम्न संस्था की प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश राजधानी द्वारा सन 2022-23 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अविनाश योग्य संस्था हेतु सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है-

संस्था का कोड एवं नाम : 3027-BHAGWAN AADHATH COLLEGE OF PHARMACY

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	एचआईसीटीईव/पीसीएनईव द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सन 2022-23 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ संस्था एचआईसीटीईव/पीसीएनईव द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एक्ट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमावली 1992, विनियमावली-2000, संशोधन विनियमावली-2018 तथा संस्था-समय पर निर्मित आदेशों/शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शूलक निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शूलक तीन वर्षीय इंग्रीड पाठ्यक्रमों हेतु सन 20150,00/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय फार्मासी पाठ्यक्रम हेतु सन- 43000,00/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों एवं वर्षीय जर्नेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु सन-22500,00/- प्रतिवर्ष शूलक ही प्रत्येक अवसर/सत्र में प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शूलक के सम्बन्ध में संस्था-समय पर वास्तव द्वारा निर्गत किये जाने वाले शासन-व्यय प्रभावी होंगे, और तदनुसार कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। तीन निर्धारण समिति द्वारा यदि सन 2022-23 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दर लागू होगी।
- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित छात्रों को ही प्रवेश दिया जायेगा।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्मित शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शूलक प्राप्त करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा निर्मित विधिनियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, संयुक्त प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा बताये गये नियमों, विनियमों, आदेशों एवं निर्देशों का पालन करने के लिये तैयार करेगी।

Dr. Vivek Kumar
Principal

- ✓ यदि संस्था का ए०आईसीटीआईपीसीआईडॉ से अनुमोदन निरस्त किया जाता है तो इस संबंध में समस्त उपरदक्षित संस्था का लोग और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संगठन प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश सरकार के विरुद्ध यदि कोई कार्य दायर किया जाता है तब दायर कर के संबंध में या न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिक्रिया संबंधी अदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिक्रिया संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ संस्थाओं को संगठन प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रेषित हेतु आवेदनित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व ए०आईसीटीआईपीसीआईडॉ से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराया होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के माध्यम से प्रवेश परीक्षा के अक्षर पत्राचार प्रवेश) अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रेषित हेतु समय-समय पर निर्गत नवीनतम अक्षर पत्राचार विद्यार्थी का अनुमोदन कराया जायकारी होगा।
- ✓ संस्था को अपने वेबसाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐडमिनिस्ट्रेशन पट्टे भूमि, स्टाफ, संस्था-संख्या, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराया जाएगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रक्रिया हेतु उपयुक्त कक्षाकरण उपलब्ध कराने के साथ शिक्षण योजना के संबंध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो ले कि संस्था में प्रस्तावित संघलित पाठ्यक्रम को चलाने वाले हेतु निरोधन समिति के संस्था उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, कर्मचार, उपकरण इत्यादि का यदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो संस्था संस्था की सम्पदाएं सुरक्षित किये जाने की कार्यवाही करेगी।
- ✓ संस्था के अधिक अतीत निरीक्षण के दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य सार्वजनिक संस्था ए०आईसीटीआईपीसीआईडॉ/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था को सम्पदाएं सुरक्षित कर दी जाएगी।
- ✓ सम्पदाएं सुरक्षा का अनुमोदन न किये जाने अथवा खर्च का प्रस्तावित किये जाने की शिथिल में निम्नानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।


 (ए०आईसीटीआईपीसीआईडॉ/परिषद)

सचिव

पुस्तक- प्राविधिकपरिषद सम्पर्कसं०2022/7818-8455

दिनांक: 30/03/2022

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्यनिदेशक, BHAGWAN AADINATH COLLEGE OF PHARMACY


 Dr. Muck-Tomar
 Principal
 Bhagwan Aadinath College of Pharmacy
 Lucknow-22


 (ए०आईसीटीआईपीसीआईडॉ/परिषद)

सचिव

कार्यालय,

राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश सरकार।

संख्या- प्राथिप/परिषद/सम्बद्धता/2023/12096001

संलग्न दिनांक: 12-09-2023

कार्यालय ज्ञान:-

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद एवं चारमैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा वैदिक सत्र 2023-24 हेतु पूर्व से संघीयता दिवसों पर राष्ट्रीय तकनीकी शिक्षा संस्थानों को अनुमोदन विस्तार प्रदान किये जाने के उपरोक्त प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में क्रमशः दिनांक 25-07-2023 एवं दिनांक 02-08-2023 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संयोजित हुई। बैठक में सत्र 2023-24 हेतु अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/चारमैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा संस्थानों को प्रदात अनुमोदन विस्तार एवं सम्बद्धता समिति द्वारा किए गए निर्णय के अनुक्रम में संलग्नों को सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय किया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में किये गये निर्णय के अनुक्रम में किए गए प्राथमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सत्र 2023-24 हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन पंजीयन एवं उसमें अखिल प्रदेश अगला हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है:-

संस्था का कोड एवं नाम : 2027-BHAGWAN AADINATH COLLEGE OF PHARMACY

क्रमसं	पंजीयन का नाम	एडमिशन/विद्यार्थी संख्या/संख्याएं द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2023-24 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें

- ✓ प्राथमिक शिक्षा, अनुसूचित उत्तर प्रदेश सत्र के पर संस्था 31/10-30/09/2022 टीसी-1 दिनांक 18 मई 2023 द्वारा पूर्व से संघीयता दिवस संस्थाओं की शर्तों के दिनांक 02/08/2023 में परिषद द्वारा पंजीयन संस्था 02/08/2023 में राष्ट्रीय काउन्सिल ऑफ इंडिया के अधीन सम्बद्धता प्रदान की जाती है।
- ✓ संस्था अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/चारमैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा निर्धारित की गई शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/चारमैसी काउन्सिल ऑफ इंडिया, नई दिल्ली के माध्यम से अनुक्रम संशोधन में संस्था संशोधन (शुल्क, फार्म, बैंक जानकारी) भेजेंगे।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षा परिषद एवं 1982 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद विनियमवली 1982, विनियमवली 2000, विनियम वली 2018 तथा संस्था संस्था पर निर्धारित शर्तों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क निर्धारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क की प्रतिलिपि जमा कराने के लिए तैयार करेगी। उपरोक्त के अतिरिक्त संस्थाओं से शुल्क के सम्बन्ध में संस्था संस्था पर संस्था द्वारा निर्धारित किये जाने वाले शर्तों का पालन करेगी। और अनुसूचित शर्तों का पालन करेगी। फीस निर्धारण समिति द्वारा सत्र 2023-24 हेतु फीस का पुनर्निर्धारण किया जाता है, जो फीस की नवीनता पर लागू होगी।
- ✓ संस्था में शुल्क प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों को भी पालन किया जाएगा।
- ✓ संस्था को संस्था संस्था पर निर्धारित शर्तों के अनुपालन में सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश सत्र द्वारा निर्धारित विनियमवली/विनियमवली/विनियमवली/विनियमवली एवं निर्देशिका, प्राथमिक शिक्षा, 2000, शुल्क प्रदात प्राथमिक शिक्षा, 2000 तथा प्राथमिक शिक्षा परिषद, 2023 द्वारा बचने गये निर्णय, विनियम, शर्तों, निर्देशों का पालन

उपरोक्त के विषय पर कार्यवाही है।

- ✓ यदि संसद का अधिसूचित भारतीय सदन के विद्यमान परिषद्/सदस्यों का प्रतिनिधित्व और इतिहास, नई दिल्ली में अनुपस्थित किया गया है तो इस संसद में कार्यवाही के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे और संसद के विद्यमान परिषद्/सदस्यों के विषय में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद के अंगों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और इतिहास, नई दिल्ली में अनुपस्थित किया गया है तो संसद के अंगों के सदस्यों के विषय में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद के अंगों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और इतिहास, नई दिल्ली में अनुपस्थित किया गया है तो संसद के अंगों के सदस्यों के विषय में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद के अंगों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और इतिहास, नई दिल्ली में अनुपस्थित किया गया है तो संसद के अंगों के सदस्यों के विषय में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद के अंगों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और इतिहास, नई दिल्ली में अनुपस्थित किया गया है तो संसद के अंगों के सदस्यों के विषय में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद के अंगों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और इतिहास, नई दिल्ली में अनुपस्थित किया गया है तो संसद के अंगों के सदस्यों के विषय में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद के अंगों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और इतिहास, नई दिल्ली में अनुपस्थित किया गया है तो संसद के अंगों के सदस्यों के विषय में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद के अंगों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और इतिहास, नई दिल्ली में अनुपस्थित किया गया है तो संसद के अंगों के सदस्यों के विषय में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद के अंगों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और इतिहास, नई दिल्ली में अनुपस्थित किया गया है तो संसद के अंगों के सदस्यों के विषय में कार्यवाही की जाएगी।
- ✓ संसद के अंगों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व और इतिहास, नई दिल्ली में अनुपस्थित किया गया है तो संसद के अंगों के सदस्यों के विषय में कार्यवाही की जाएगी।

(अशिशु कुमार मिश्रा)

सचिव

पृष्ठ सं- प्राविप/परिषद् सम्बन्धित/2023/12090002-12091230

दिनांक: 12-09-2023

प्रतिनिधि-

प्रधानाचार्य/निदेशक, BHAGWAN AADINATH COLLEGE OF PHARMACY

(अशिशु कुमार मिश्रा)

सचिव

DR. SURESH KUMAR JAIN
PRINCIPAL
Bhagwan Aadinath College
of Pharmacy, Gurgaon, Haryana